



MAHARAJGANJ POLICE

सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 13.05.2026



- *1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर *572* वाहनों का चालान किया व 02 वाहनो को सीज किया गया।
- *2. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- *72* व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया। धारा 34 पुलिस एक्ट में *28* व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।
- *3. “मिशन शक्ति ”-*** मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति महिलाओं, बालिकाओं में सुरक्षा व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरूक।
- *4. पैदल गश्त -*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के आदेश के क्रम मे पैदल गश्त के तहत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।
- *5. जन संवाद-*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी।
- *6* थाना कोल्हुई द्वारा की गई कार्यवाही*** अभियुक्त नगीना पुत्र जीतन निवासी मैनहवा टोला महमुदपुर थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 5 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 52/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

2- अभियुक्ता आरती पत्नी नगीना निवासी मैनहवा टोला महमुदपुर थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 53/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी। 3- अभियुक्त दीपई पुत्र श्यामसुन्दर उर्फ फेकू निवासी जंगल गुलहरिया मुसहर टोला थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 54/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना बरगदवा द्वारा की गई कार्यवाही अभियुक्त नथई पुत्र स्व0 परसुराम निवासी कोहरगड्डी थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 25 शीशी नेपाली देशी शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 37/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी। 2- अभियुक्त विजयी पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम खैरहवा जंगल टोला खैराटी थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 शीशी नेपाली देशी शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 38/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी। 3- अभियुक्त विशाल रौनियार पुत्र सुरेन्द्र रौनियार निवासी नरायनपुर टोला शिकारगढ थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली देशी शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 39/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना भिटौली द्वारा की गई कार्यवाही अभियुक्त प्रेम पुत्र स्व0 बहादुर निवासी पिपरपाती तिवारी थाना भिटौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 45 शीशी अवैध देशी शराब बंटी बबली बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 91/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी। 2- अभियुक्त पवन कुमार पुत्र बांके प्रसाद निवासी सिसवा राजा थाना भिटौली के कब्जे से 18 अदद टेट्रा पैक बन्टी बबली बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 90/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना सिन्दुरिया द्वारा की गई कार्यवाही अभियुक्त रामकृपाल उर्फ कृपाल पुत्र चिनक निवासी भागाटार थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 पाउच टेट्रा पैक बन्टी बबली शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 109/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी। 2- अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र कैलाश चौहान निवासी पतरेंगवा टोला शितलापुर थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के कब्जे से 25 अदद टेट्रा पैक शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 110/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना निचलौल द्वारा की गई कार्यवाही अभियुक्त 1- प्रेम साहनी पुत्र सोमई निवासी करमहिया थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 12 शीशी बन्टी बबली देशी शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 121/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना सोनौली द्वारा की गई कार्यवाही अभियुक्त प्रताप उर्फ नन्हे पुत्र स्व0 बृजलाल निवासी धुरहा थाना भीरा जनपद लखीनपुर खीरी के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 41/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

7*. विवेचना निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- *18* विवेचना का निस्तारण किया गया ।

***08.** जनपद में *12/13-05-2026* को विभिन्न अपराधों में कुल- *84* अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।